

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.**

फोन नं०- 2223727  
फैक्स नं०-2224529

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या- 64 / 2016**

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | निविदाकर्ता का पदनाम  | : | मुख्य अभियंता, पटना ।   |
| 2. | निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय                                | : | 31-10-2016 के अपराह्न 11.00 बजे से ।  |
| 3. | निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय                                    | : | 03-11-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक ।  |
| 4. | निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय  | : | 05-11-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक ।  |
| 5. | निविदा की तकनीकी वीड खोलने की तिथि एवं समय  | : | 09-11-2016 को 15.30 बजे अपराह्न ।   |
| 6. | परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि एवं समय | : | 09-11-2016 को 15.00 बजे अपराह्न तक ।  |
| 7. | निविदा खोलने का स्थान   | : | बेवसाइट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> पर । |
| 8. | निर्माण कार्य का व्यौरा   | : |   |

क्रमांक	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु.में)	अग्रधन की राशि रु. में	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज थाना में नक्सल थाना भवन (अवशेष कार्य) का निर्माण कार्य	132.71	265500	10000	5750	9 माह	
2.	खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया पुलिस लाईन में 300 सिपाहीयों के बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	657.74	1315500	10000	17250	12 माह	
3.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत जितना थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4-यूएस० एवं 6-एल० एस० आवास (अवशेष कार्य) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	251.18	502400	10000	5750	12 माह	
4.	जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद थाना में एस०डी०पी०ओ० आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	43.48	87000	5000	1150	6 माह	
5.	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी के पहाड़पुर थाना में 20 सिवाहीयों के बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	43.36	86800	5000	1150	6 माह	

9. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
10. 10 लाख से ऊपर की राशि की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी । 15 लाख तक की निविदा में आरक्षण लागू रहेगा । ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समुचित श्रेणी में निवंधित संवेदकों के पास उपयोगकर्ता का नाम तथा पासवर्ड अंकीय हस्ताक्षर होना अनिवार्य है । यह उन्हे बेवसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से डाउन लोड करने /निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा ।
11. इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के बेवसाइट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) पर देखा जा सकता है तथा ई-निविदा-पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है । संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त बेवसाइट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत बेवसाइट पर ही ईलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है । सभी महत्वपूर्ण कागजात/ बैंक ड्राफ्ट/ अग्रधन की राशि/आयकर पैन नं०, बिक्रीकर निवंधन / उचित श्रेणी का निवंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय स्व-अभिप्रायान्वयित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा । इन कागजातों के हस्ताक्षर के उपरांत स्कैन करके ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । अपलोड सभी कागजात सही है इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य है जो निविदा आमंत्रण की तिथि के पश्चात का हो । इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी ।

- 12(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 12(ख). अन्य सरकारी विभाग यथा— सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
13. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निवादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा ।
14. सभी गैर—अनुसूचित मदों का दर ( शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है ) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में वित्तीय बीड़ अमान्य मानी जायगी ।
15. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है । अतएव परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी । समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी । अग्रधन की राशि छः/ पाँच वर्षीय बचत प्रमाण—पत्र / बैंक ड्राफ़्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा । अग्रधन की राशि यथा— बैंक ड्राफ़्ट आदि उपरोक्त कंडिका सं0—4 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा ।
- ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण—विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में उपरोक्त अंकित तिथि के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा ।
16. निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इंटरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान के सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त बेवसाईट पर अपलोड कर लें ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें । निविदाकरों से निवेदन है कि अपलोड किये गये कागजातों को डाउन लोड कर संतुष्ट हो लें कि जो कागजात उनके द्वारा अपलोड किया गया है, वह निविदा के प्रावधानों के अंतर्गत सही है । इस संबंध में किसी भी त्रुटि की पूर्ण जबावदेही निविदाकारों की स्वयं होगी ।
17. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धिपत्र को बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर प्रकाशित किया जायगा । बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकार/ रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है । किसी भी प्रकार की जानकारी/ सूचना हेतु सहायता कक्ष, सहायता कक्ष, प्रथम मंजिल, एम—22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं0—25, श्रीकृष्णा नगर, पटना—800001 से दूरभाष संख्या—0612— 2523006 / 7542028164 एवं फैक्स नं0—0612—2523006 पर अथवा कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है ।
18. निविदा प्रपत्र बेवसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ बेवसाईट से ही प्राप्त (डाउन लोड) किया जा सकता है ।
19. निविदा कागजात भरकर बेवसाईट पर ही (अप लोड) किया जा सकेगा । निविदा खोलने की जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी ।
20. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हैं, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हैं ।
21. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।

22. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु0 15,000/- + 15.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु0 5,000/- + 15.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रु0 1,000/- + 15.00 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य को अलग-अलग स्तम्भ में दर्शाया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/निविदा अपलोड नहीं करने, इंटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुटियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
- शेष परिमाण विपत्र का मूल्य शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतेय उपरोक्त कंडिका सं0-3 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने ऊपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायगा।
23. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
24. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्घृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
25. (क) विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) क्रमांक- 6 के कार्य हेतु समान प्रकृति के कार्य अनुभव वाले निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
26. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिन को उसी प्रक्रिया से तीन बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
27. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जा सकती है।
28. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
29. नियमानुसार अंकित क्रमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रामाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हे हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा।
30. कंडिका-12 के कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं इन दोनों के उपकरणों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभवन, साक्ष्य सहित संलग्न करने वाले संवेदक ही मात्र सक्षम होंगे।

*21-10-2016*  
श्री॥१६ मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 4950(A)

पटना, दिनांक— 21-10-2016

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, मगध प्रमण्डल, कैम्प-डेहरी, भागलपुर, एवं मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प-हाजीपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

*21-10-2016*  
श्री॥१६ मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक— एच०क्य०— 4950(A)

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक / कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल— राजगीर /, दरभंगा / पूर्णियाँ / मोनिटरिंग / विद्युत / सहायक प्रावैधिक सचिव / निरूपण—1/2 / सचिव / मुख्य लेखापदाधिकारी / कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

पटना, दिनांक— 21-10-2016

*21/10/16*  
21.10.2016  
मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक— एच०क्य०— 4950(A)

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, खगड़िया, मोतिहारी एवं जहानावाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

पटना, दिनांक— 21-10-2016

*21/10/16*  
21.10.2016  
मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।